छत्तीसगढ़ विधान सभा

जनवरी-मार्च, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 2010 (फाल्गुन-4, 1931)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक से प्राप्त -

(1) वित्त लेखे वर्ष 2008-2009 (छत्तीसगढ़ शासन) तथा

(2) विनियोग लेखे वर्ष 2008-2009 (छत्तीसगढ़ शासन) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, कबीरधाम जिले के विधान सभा क्षेत्रों में विकास निधि से हुए कार्यों का भुगतान न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य, कोरबा नगर की शासकीय भूमि में हेराफेरी किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री महन्त रामसुन्दर दास, सदस्य, जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम बम्हनीडीह मुख्य मार्ग से करनौद-बरकुट-चोरहादेवरी तक पुल-पुलिया सहित पक्की सड़क निर्माण करने,

(ii) ग्राम तालदेवरी से चोरहादेवरी तक पुल-पुलिया सहित पक्की सड़क निर्माण करने,

(iii) ग्राम कपिस्दा-बावनबुडी से बेलकर्री तक पक्की सड़क एवं सोन नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,

(vi) ग्राम कपिस्दा से बंसुला तक पुल-पुलिया सहित पक्की सड़क निर्माण करने,

(v) ग्राम मुलीडीह से कचन्दा तक पुल-पुलिया सहित पक्की सड़क निर्माण करने,

(vi) ग्राम भातमाहुल से बोराईडीह-बरदुली तक पक्की सड़क एवं बोराई नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,

(vii) ग्राम बन्सुला से पुल तक पक्की सड़क निर्माण करने,

(viii) ग्राम बैहागुड़रू से कैथा तक पक्की सड़क एवं सोन नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,

(ix) ग्राम मिरौनी से ग्राम मरघट्टी तक पुल-पुलिया सहित पक्की सड़क निर्माण करने,

(x) ग्राम मरघट्टी से कन्हाईबन्ध-भागोडीह तक पुल-पुलिया सहित पक्की सड़क निर्माण करने तथा

(xi) ग्राम धीवरा से सोनादाह तक पक्की सड़क एवं नाले पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

रायपुर
दिनांक 22 फरवरी, 2010

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.